

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
क्रमांक C/ 6737 // आदेश //
जबलपुर, दिनांक 13 / 09 / 2024
दो-14-85 / 86 भाग-छ:

श्री धर्मन्द्र कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का पुराना नाम “श्री धर्मन्द्र कुमार तिवारी” के स्थान पर पर नया नाम “श्री धर्मन्द्र तिवारी पिता श्री रामकुमार तिवारी” में परिवर्तित किये जाने की अनुमति की गयी है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/ 6738 / जबलपुर, दिनांक 13 / 09 / 2024
दो-14-85 / 86 भाग-छ:

प्रतिलिपि :-

- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (टी.एम.अनुभाग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर,
- रजिस्ट्रार (प्रशासन) / कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 के एम्लाई डाटा बेस में प्रविष्टी हेतु,
- जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,
- डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउटेंस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- असि. रजिस्ट्रार(एम), समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- सहायक स्थापना / अवकाश / सेवापुस्तिका / वेतन पत्रक / पांस बुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्री धर्मन्द्र कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)